न्यायालय विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

विशेष वाद संख्या–976/2021

राज्य प्रति फरा।

मुकदमा अपराध संख्या–179/2021
धारा–21/22 NDPS Act.
थाना–इकदिल, जिला–इटावा।

<u>कथन अभियुक्ता अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.संहिता।</u>

नाम–फराह पुत्री–असलम उम्र–33 वर्ष

व्यवसाय–घरेलू महिला निवासिनी–आजाद नगर टीला

थाना–फ्रेण्ड्स कालोनी जिला–इटावा।

प्रश्न 1:– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 17.06.2021 को समय 06.41 बजे व स्थान पक्का बाग रोड पर चांदमिया के भट्ठे की तरफ गली में, अन्तर्गत थाना इकदिल, जिला इटावा में पुलिसकर्मचारीगण द्वारा आप अभियुक्ता की जामातलाशी लेने पर आपके कब्जे से 130 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया, जो विधि विज्ञान प्रयोशाला की आख्यानुसार अल्प्राजोलाम है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है। कोई नशीला पाउडर बरामद नही हुआ।

प्रश्न 2:– पी०डब्लू०–1 राजेश कुमार (उपनिरीक्षक/वादी) के आपने बयान सुने। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए फर्द **प्रदर्श क–1**, आप अभियुक्ता से बरामद माल पर **वस्तु प्रदर्श 1**, पन्नी **वस्तु प्रदर्श 2** व कपड़े की थैली **वस्तु प्रदर्श 3** को साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–झूठा बयान दिया है।

प्रश्न 3 :– पी०डब्लू०–2 आपने हेड कानि. 141 भरत सिंह का बयान सुना। इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–2** व जी०डी० **प्रदर्श क–3** को साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 4:– पी०डब्लू०–3 आपने अवधेश कुमार (उपनिरीक्षक/विवेचक) का बयान सुना। इस साक्षी ने विवेचना ग्रहण कर, उसका वर्णन करते हुए नक्शा–नज़री **प्रदर्श क–4** एवं आरोप पत्र **प्रदर्श क–5** को साबित किया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–झूठे बयान दिया। गलत आरोप पत्र दाखिल किया है।

प्रश्न 5:– आपसे बरामद माल की शोधन रिपोर्ट, जिसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला, द्वारा जारी किया गया है तथा जो पत्रावली पर कागज संख्या 8 क/2 के रूप में संलग्न है। इस सम्बंध में आपको क्या कहना है?
उत्तर–गलत है।

प्रश्न 6:– आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला?
उत्तर–झूठा मुकदमा लिखाया गया है।

प्रश्न 7:– क्या आपको प्रतिरक्षा साक्ष्य देना है?
उत्तर–हाँ।

प्रश्न 8:– आप कौन–सा कारोबार करती है?
उत्तर–घरेलू महिला है।

प्रश्न 9:– क्या आपको और कुछ कहना है?
उत्तर–थाना इकदिल पुलिस प्रार्थिनी को घर से पकड़कर ले गई और रुपयों की मांग की, न देने पर झूठा मुकदमा लिखाकर झूठा चालान किया है। इस सम्बंध प्रार्थिनी की माँ ने एस.एस.पी. इटावा को थाना इकदिल पुलिसजनों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया।

यह पृच्छा मेरे द्वारा अंकित की गयी।
जिसमें अभियुक्त का पूर्ण एवं यथाउक्त
बयान अन्तर्विष्ट है।

सुनकर सत्यापित किया।

हस्ताक्षर अभियुक्ता

विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।
04.01.2024